डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के परीक्षा समिति की

बैठक दिनाँकः 07 दिसम्बर, 2018 का कार्यवृत्त

समय –	सायंः 04:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/2	**परीक्षा समिति की प्रथम बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्तानुसार प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/2	**परीक्षा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 19.4.2018 में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः– परीक्षा समिति की प्रथम बैठक दिनांक 19.4.2018 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन/कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए परीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देश प्रदान किए गएः– **बिन्दु संख्या–6/1** : परीक्षा समिति को वित्त अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्यरत् कार्मिकों का मानदेय भुगतान सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा ही किया जाता है। अतः परीक्षा संबंधी कार्यों के एवज में उक्त कार्मिकों का पारिश्रमिक भुगतान सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही सुनिश्चित कराया जाए। उक्त का संज्ञान लेते हुए परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कार्यरत् कार्मिकों को परीक्षा संबंधी कार्यों के एवज में प्रदान किया जाने हेतु निर्धारित मानदेय का भुगतान सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए। **बिन्दु संख्या–16/1** : ग्रेस मार्क्स दिए जाने के सम्बन्ध में परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति द्वारा प्रथम बैठक में लिए गए

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

	निर्णयानुसार समिति का तत्काल गठन कर उक्त के सम्बन्ध में आख्या/नियम तैयार कर आगामी परीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए।
3/2	माह दिसम्बर, 2018 की सेमेस्टर परीक्षा की तिथि का निर्धारण।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं 11 दिसम्बर, 2018 से प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/2	विश्वविद्यालय के विगत् शैक्षणिक सत्रों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की स्पेशल बैक पेपर/मेक अप परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया किः– 1– चूँकि सेमेस्टर परीक्षाएं 11 दिसम्बर, 2018 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। अतः वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न कर उसे यथावत् रहने दिया जाए। 2– विश्वविद्यालय के विगत् शैक्षणिक सत्रों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की स्पेशल बैक पेपर/मेक अप परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति–निर्धारण हेतु एक समिति गठित की जाए। उक्त समिति विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को अपनी संस्तुति सहित परीक्षा समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।
5/2	विद्यार्थियों के मिड सेमेस्टर टेस्ट अथवा एसाइनमेंट/प्रजेन्टेशन को पुनः सम्पन्न कराए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार का औचित्य नहीं पाया गया।
6/2	विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारित करने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण के लिए प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।
7/2	सेमेस्टर परीक्षा, 2018 हेतु 02 लाख रूपये अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व शैक्षणिक सत्र में विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन हेतु 02 लाख रूपये की धनराशि अग्रिम के

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

	रूप में परीक्षा विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी, किन्तु वर्तमान तक उक्त धनराशि का समायोजन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्राप्त अग्रिम का समायोजन प्रस्तुत किए बिना पुनः अग्रिम दिया जाना वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। परीक्षा समिति द्वारा माह दिसम्बर, 2018 में प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु निर्णय लिया गया विषय की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त सेमेस्टर परीक्षा के लिए अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 01 लाख हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह निर्देश भी प्रदान किए गए कि पूर्व में परीक्षाओं के संचालन हेतु अग्रिम के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि का समायोजन अविलम्ब प्रस्तुत किया जाए।
8/2	विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु टेबुलेशन चार्ट की व्यवस्था को प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परीक्षा हेतु टेबुलेशन चार्ट की व्यवस्था को प्रारम्भ किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश प्रदान किए गए कि परीक्षा हेतु टेबुलेशन चार्ट, सिस्टम जनरेटेड एवं सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त होना चाहिए।
9/2	वाह्य प्राशनिकों एवं परीक्षकों की नियुक्ति परीक्षा अध्यादेश में प्राविधानित व्यवस्थानुसार किए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः—परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के 05 सेट प्रश्न—पत्रों जिसमें 03 सेट आन्तरिक शिक्षकों द्वारा एवं 02 सेट प्रश्न—पत्र वाह्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त हेतु विशेष परिस्थितियों में कारण उल्लिखित करते हुए शिथिलीकरण हेतु निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। विशेष परिस्थितियों में शिथिलीकरण की कार्यवाही हेतु कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।
10/2	संकायाध्यक्षों के मार्गदर्शन में वर्तमान परीक्षा अध्यादेश में यथापेक्षित संशोधन कर उसे अद्यतन किए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि संकायाध्यक्षों के मार्गदर्शन में वर्तमान परीक्षा अध्यादेश में यथापेक्षित संशोधन कर अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर निर्णय समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष संयुक्त रूप से 15 फरवरी, 2019 तक परीक्षा अध्यादेश का संशोधित आलेख तैयार कर लें। दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक परीक्षा अध्यादेश का अन्तिम आलेख तैयार कर परीक्षा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

11/2	समस्त पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों में समरूप कोड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों हेतु समरूप प्रश्न–पत्र कोड व्यवस्था लागू किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किए गया। उक्त व्यवस्था के संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।
12/2	परास्नातक स्तर की सत्रांत परीक्षा विभागीय स्तर पर आयोजित होने वाली मध्य–अधिसत्र परीक्षा की भाँति सम्पादित किए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परीक्षा व्यवस्था में दो भिन्न प्रकार की प्रणालियां लागू किए जाने का काई औचित्य नहीं है।
13/2	मॉडरेटर्स, टेबुलेटर्स, कोअलेटर्स आदि के पारिश्रमिक का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।
14/2	इम्प्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थियों को किसी भी पाठ्यक्रम में अधिकतम 02 अवसर (दिव्यांग–02 एवं सामान्य–01) प्रदान करने का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उक्त नियम में शिथलीकरण की आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम उसे सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तदोपरान्त समस्त तथ्यों सहित अनुमोदन हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
15/2	किसी भी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि के निर्धारण के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाठ्यक्रम अवधि की दोगुनी तक हो सकती है, परन्तु विस्तारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यार्थी को निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन आदि की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
16/2	परीक्षा के दौरान आंतरिक एवं वाह्य उड़न दस्ते का गठन करने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा के दौरान आंतरिक एवं वाह्य उड़न दस्ते का गठन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

17/2	वाहय केन्द्रों पर विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द को पर्यवेक्षक नामित किए जाने के सम्बन्ध में।	
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा वाहय केन्द्रों पर विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द को पर्यवेक्षक नामित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इस हेतु कुलसचिव को अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	
18/2	केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के तहत परीक्षकों को पारिश्रमिक एवं मानदेय का तत्समय भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।	
	निर्णयः– परीक्षा समिति द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षकों को पारिश्रमिक एवं मानदेय का तत्समय भुगतान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इस हेतु वित्त अधिकारी को अधिकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।	
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु। 1– स्वामी विवेकानन्द लॉ कॉलेज, लखनऊ एवं बलराम महाविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ के प्रश्न–पत्र सं0 LLM 101 में मॉस कॉपींग की शिकायत के दृष्टिगत उक्त प्रश्न–पत्र की पुनः परीक्षा दिसम्बर, 2018 की परीक्षाओं के साथ कराये जाने के सम्बन्ध में। **निर्णयः–** परीक्षा समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।	

अन्त में परीक्षा समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।

(Amit Kumar Singh)
Registrar
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow